के कितने कर्मचारी हैं और वे इन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने यह शिकायत की है कि यद्यपि वे तदर्थ आधार पर काम कर चुके हैं और वरिष्ठ भी हैं फिर भी उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के तीन ओवरसियर हैं । उनकी नियुक्ति की तारीख क्रमशः 22-3-1974, 25-6-1974 और 4-7-1977 है । उक्त मुद्रणालय में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई ओवरसियर नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त तीन अनुसूचित जाति के ओवरसियरों से कनिष्ठ किसी भी ओवरसियर को स्थायी नहीं बनाया गया है । उनसे ऐसी कोई शिकायत भी नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Use of Toilet in National Council of Education

5675. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of the Government that toilet has exclusively been reserved for British experts invited by the National Council of Education to conduct the workshop "Script writing Workshops" in their building on Ring Road, New Delhi;

(b) whether outside the toilet it has been written "FOR BRITONS ONLY";

(c) what accounts for this in Independent India; and

(d) the steps taken to get this removed?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d). The following notice was put up on one of the four toilets of the Department of Teaching Aids building:

"This toilet is for the exclusive use of the Experts from U.K. Please use the other toilets. Inconvenience regretted." Two British experts whose services were procurd for the workshop on script-writing on science films (13th June to 2nd July, 1977) had attacks of acute dysentry from which they were suffering during the course of the workshop. In order to provide them with minimum facilities of bathroom, the notice was put up for the duration of the workshop only.

मध्य प्रदेश में नई जमीन को खेती योग्य बनाया जाना

5676. श्री भागीरथ भंवर :
श्री सुभाष आहूजा :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर०आर०ओ० एकक द्वारा खेती योग्य बनाई गई नई जमीन में चौथाई भाग भारत सरकार मध्य प्रदेश स्थानीय आदिवासियों को खेती करने के लिये देती है;

(ख) क्या आदिवासियों को बसाने के लिये बेतूल जिले में शाहपुर परियोजना में आर०आर०ओ० एकक ने चार हजार एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया था;

(ग) शाहपुर परियोजना के अधीन आर०आर०ओ० एकक ने कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है और आदिवासियों को उनके पुनर्वास के लिए कितने एकड़ भूमि दी गई है;

(घ) क्या आर०आर०ओ० एकक के कुछ भाग को अन्यत्र भेज दिया गया है, जब कि खेती योग्य बनाने के लिये जमीन उपलब्ध है;

(ङ) क्या एकक के कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप जमीन को कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्यक्रम में ढील आ गई है; और

(च) क्या स्थानीय आदिवासी परिवारों के पुनर्वास संबन्धी कार्यक्रम पर इस से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (**श्री सिकन्दर बख्त**): (क) जी, हां। आर०आर०ओ० द्वारा खेती योग्य बनाई गई भूमि का 25 प्रतिशत भाग भूमिहीन स्थानीय लोगों को बसाने के लिए दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थानीय आदिवासियों को दिए जाने के लिए 4,000 एकड़ भूमि में से 1,460 एकड़ भूमि का उद्धार पहले ही किया जा चुका है और शेष क्षेत्र का उद्धार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। 1975-76 में जब आर०आर०ओ० की आधी यूनिट भेजी गयी थी तो उस समय राज्य सरकार द्वारा भूमि उद्धार के लिए उपरोक्त 4,000 एकड़ भूमि का पता नहीं लगाया गया था।

(ङ) जी, नहीं। वास्तव में, हाल ही में पांच और ट्रैक्टर यूनिट को दिए गए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों और भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा पिछले आवास के स्थान पर दूसरा सरकारी आवास का रखा जाना

5677. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं लोक सभा के उन भूतपूर्व सदस्यों और मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 7 जुलाई, 1977 तक सरकारी आवास अपने पास रखा और क्या उनमें से कुछ को पहले आवास के स्थान पर नई दिल्ली में कोई दूसरा आवास आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके द्वारा रखे गये मकानों के पते क्या हैं, उन पर क्या बाजार भाव का किराया लगाया गया तथा उनसे कितना किराया वसूल किया गया; यदि एक भूतपूर्व संसद् सदस्य आवास खाली नहीं करता, जो उसे करना चाहिए, तो दूसरा आवास देने के लिए नियम क्या हैं; और

(ग) ऐसे सदस्यों के नाम तथा दिल्ली के पते क्या हैं जो 15 जुलाई, 1977 तक वैस्टर्न कोर्ट या होटलों में या अन्य स्थानों पर, सरकारी आवास न मिलने के कारण रह रहे थे, जिनके वे हकदार हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (**श्री सिकन्दर बख्त**): (क) पांचवीं लोक सभा के उन भूतपूर्व सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम जो 7 जुलाई, 1977 तक सामान्य पूल वास के दखल में थे, संलग्न विवरण में दिये गये हैं (अनुलग्नक–1) इनमें से, केवल एक भूतपूर्व संसद् सदस्य को उसके पिछले वास के बदले में वैकल्पिक वास आवंटित किया गया है।